तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुस्लिम विधि में पिता के जीवित अवस्था में उसके पुत्रगण किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा की मांग नही कर सकते लेकिन यदि प्रार्थीगण के दादा स्व0 आमीन खां द्वारा मौजिज व्यक्तियों के समक्ष किये गये हिब्बा का सम्बन्ध है वह साक्ष्यप्रद है जिसे प्रार्थीगण को अपनी साक्ष्य से साबित करना है। प्रार्थीगण हिब्बा में प्राप्त के अलावा शेष भूमि बाबत नामान्तरण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्र पर विचार करते हुये प्रार्थीगण द्वारा कथित हिब्बा 0.506 हैक्टेयर की हद तक स्थगन आदेश पारित किया जाता है तथा स्व0 श्री आमीन खां के वारिसान शेष भूमि 1.834 हैक्टेयर की हद तक उनके वारिसान नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये स्वतन्त्र रहेगें। यह स्थगन आदेश बैंक कुर्की/रोडा एक्ट प्रभावी नहीं होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर चक 3 एल.के. के खाता संख्या 8/8 व 27/29 में स्व0 श्री आमीन खां के नाम की कुल भूमि 2.340 हैक्टेयर में से 0.506 हैक्टेयर को छोडते हुये शेष भूमि 1.834 हैक्टेयर की हद तक उनके वारिसान नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये स्वतन्त्र रहेगें। यह स्थगन आदेश बैंक कुर्की/रोडा एक्ट/रास्ता खाला विवाद पर प्रभावी नहीं होगा। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.12.13 11:04:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner